

जिला



गजट

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक  
04 / 2012विक्रम संवत्  
206812(कृ०) फाल्गुन 1933 (षा०)  
जमशेदपुर, षनिवार, 18 / 02 / 12

सहायक खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये खनन एवं भूतत्व विभाग का आम सूचना।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. जिला खनन विभाग से सम्बंधित आम सूचना

01-01

झारखण्ड सरकार  
खनन एवं भूतत्व विभाग  
जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जिस पर खनन पट्टा धारण किया जाता था, परन्तु नवीकृत पट्टा संविदा का निबंधन पट्टाधारी द्वारा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप खनन पट्टा परिसमाप्त किया गया। फलतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के अन्तर्गत यह क्षेत्र पुनर्बन्दोबस्ती हेतु रिक्त है।

अतः उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृती हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था जिला गजट में सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के पश्चात झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 9 के प्रावधानों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सभी वांछित कागजातों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य अवधि के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण

SI No	पूर्व पट्टेधारी का नाम एवं पता	अंचल	मौजा	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	खनिज
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री विश्वजीत मिश्रा ग्राम वामनी पो० गोबरधूसी जिला पूर्वी सिंहभूम	पटमदा	वमनी	30	56 (P)	2.50	पत्थर

ह०/-

जिला खनन पदाधिकारी  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर